द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/669/2014

डॉ प्रतिभा खोसला, — **अपीलार्थी**
द्वारा मकान नं0 1285,
रणजीत नगर, खरार,
जिला मोहाली, पंजाब,

विरूद्ध

डॉ0 पंकज टेम्भूर्णीकर, — **उत्तरवादी क्रं0 01**
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

डॉ0 एस0के0 मोहन्ती, — **उत्तरवादी क्रं 02**
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

(आदेश पारित दिनांक : 22/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी डॉ0 प्रतिभा खोसला द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत (उत्तरवादी क्रं0 01) डॉ0 पंकज टेम्भूर्णीकर, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) तथा (उत्तरवादी क्रं0 02) डॉ0 एस0के0 मोहन्ती, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 16.7.2013 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 01, जनसूचना अधिकारी से 05 बिंदुओ की निम्नानुसार सूचना/जानकारी चाही थी :–

1. **Certified copy of the procedure followed by the Dean, CIMS, Bilaspur. C.G. while dealing with complaints against officer of any department of CIMS, Bilaspur. C.G. received from the HOD of that department..**
2. **Certified copy of the procedure followed by the Dean, CIMS, Bilaspur. C.G. while dealing with complaints received against officer (including HOD) of any department of CIMS, Bilaspur. C.G. received from another officer of that department..**
3. **The procedure followed by the Dean, CIMS, Bilaspur. C.G. while issuing warning orders.**
4. **The name, designation and address of the appellate authority 1st appeal can be filed against decision of issuing of warning order by the Dean, CIMS, Bilaspur. C.G.**
5. **The name, designation and address of the appellate authority 2nd appeal can be filed against decision of issuing of warning order by the Dean, CIMS, Bilaspur. C.G.**

इसके प्रत्युत्तर में सहायक जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14.8.2013 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि अधिष्ठाअता महोदय द्वारा आपके आवेदन पर उक्त संबंध मे जांच कमेटी को निर्देश दिये गये हैं। जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलार्थी ने अपने द्वितीय अपील आवेदन में प्रथम अपील का दिनांक 13.9.2013 लिखा है। प्रथम अपील के पश्चात् भी जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी अनुपस्थित रहीं। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है। उत्तरवादी श्री पंकज टेम्भुर्णीकर के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उन्हें सुना भी गया।

जवाब में लेख है कि अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 26.7.2013 को प्राप्त हुआ तथा आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी स्थापना/प्रशासन विभाग सिम्स, बिलासपुर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार कार्यालय के पत्र क्रमांक/234/ सिम्स/सूप्र. /13 बिलासपुर दिनांक 29 जुलाई 2013 द्वारा तत्काल 03 दिनों के भीतर जानकारी मांगी गई (इस पत्र की प्रतिलिपि जवाब के साथ संलग्न है) प्रभारी स्थापना प्रशासन द्वारा 14 अगस्त 2013 को जानकारी प्रेषित की गई जो सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय को 14 अगस्त 2013 को प्राप्त हुई तथा इसी जानकारी को पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 द्वारा आवेदिका को प्रेषित की गई। बाद में द्वितीय अपील के दौरान प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.4.14 को अपीलार्थी को पत्र प्रेषित करते हुए निम्नानुसार जानकारी दी गई हैः–

1. बिंदु क्रमांक 01 में अधिष्ठाता द्वारा किसी विभाग के विभागाध्यक्ष से उनके अधीनस्थ कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें भविष्य हेतु शिकायत से संबंधित सुधार हेतु चेतावनी दी जाती है एवं पुनः दोबारा शिकायत प्राप्त होने पर वास्तविक स्थिति से अवगत होने हेतु जांच कमेटी गठित की जाती है।
2. बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार।
3. बिंदु क्रमांक 03 में या तो पूर्व में चेतावनी दी जा जाती है या जांच कमेटी की अनुशंसा पर चेतावनी दी जाती है।
4. बिंदु क्रमांक 04 हेतु अधिष्ठाता, सिम्स बिलासपुर।
5. बिंदु क्रमांक 05 हेतु छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान उत्तरवादी की ओर से कहा गया कि शिकायतों की जांच की कोई लिखित प्रक्रिया दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः शिकायत प्राप्त होने पर जांच हेतु समिति गठित की जाती है जो जांच करती है इसलिए आवेदन प्राप्ति के बाद निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सूचित कर दिया था कि उनके आवेदन पर जांच समिति गठन के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार चेतावनी देने के संबंध में मांगी गई सूचना/जानकारी के संदर्भ में भी कोई लिखित प्रक्रिया या दस्तावेज नहीं है क्योंकि चेतावनी को शास्ति/दंड नहीं माना जाता। यह चेतावनी देने

वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि कब और किन परिस्थितियों में चेतावनी दें। इसलिए बाद में पत्र दिनांक 23.4.14 द्वारा सूचित किया गया था कि भविष्य हेतु शिकायत से संबंधित सुधार हेतु चेतावनी दी जाती है या जांच समिति की अनुशंसा पर चेतावनी दी जाती है। इस प्रकार पाया जाता है कि बिंदु क्रं 1, 2 व 3 के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया गया है जो संतोषप्रद प्रतीत होता है। जांच और चेतावानी के संबंध में जो प्रक्रिया सक्षम अधिकारी अपने विवेक से कर रहे थे वह सूचित किया गया है। चूंकि इन तीनों बिंदुओं से संबधित दस्तावेज रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है अतः इन्हें उपलब्ध कराने का आदेश देना संभव नहीं है। बिंदु क्रं 4 तथा 5 में वार्निंग देने के आदेश के विरूद्ध प्रथम तथा द्वितीय अपील किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी की जानकारी चाही गई थी। सुनवाई के दौरान ज्ञात हुआ कि वार्निंग (चेतावनी) कोई दंड/शास्ति नहीं है इसलिए इसके आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अथवा द्वितीय अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उसे उपलब्ध कराना भी संभव नहीं है। अतः इन दोनों बिंदुओं के दस्तावेज रिकार्ड में नहीं होने के कारण उन्हें उपलब्ध कराना संभव नहीं पाया जाता। यह पाया जाता है कि मांगी गई सूचना/जानकारी के पांचों बिंदुओं के दस्तावेज नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों ने अपने विवेक से आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में अपीलार्थी को अपने विवेक से जवाब दे दिया था। फिर अधिष्ठाता/प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी पांच बिंदुओं की जानकारी अपने विवेक से देने की कोशिश की है। परंतु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिंदु क्रं 04 एवं 05 को गलत समझा है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विवरण दिया है जबकि इन दोनों बिंदुओं में चेतावनी आदेश के विरूद्ध की जाने का प्रथम तथा द्वितीय अपीलों के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूचना चाही गई थी।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निष्कर्ष है कि वांछित सूचना/जानकारी के पांचों बिंदुओं के दस्तावेज रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है अतः उपलब्ध कराने का आदेश देना संभव नहीं है। संबंधित अधिकारी तथा जनसूचना अधिकारी ने अपने विवेक से जो संभव था वह उत्तर अपीलार्थी को दे दिया था। अतः द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

परंतु आदेश की प्रतिलिपि अधिष्ठाता/प्रथम अपीलीय अधिकारी, छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान्, बिलासपुर को भेंजे कि वे भविष्य में जवाब देने में सतर्कता बरतें।

आदेश तद्नुरूप।

प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त